न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 15/2021</u> निर्णय दिनांकः– 17-09-25
(जीसीएमएस संख्या 2021/80)

1. महेन्द्र सिंह पुत्र घमसिंह जाति राजपुत पेशा खेती निवासी गॉव नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. घमसिंह पुत्र अखेसिंह जाति राजपुत पेशा खेती निवासी गॉव नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. उम्मेद सिंह पुत्र घमसिंह जाति राजपुत पेशा खेती निवासी गॉव नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. महीपाल पुत्र घमसिंह जाति राजपुत पेशा खेती निवासी गॉव नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. विक्रमसिंह पुत्र घमसिंह जाति राजपुत पेशा खेती निवासी गॉव नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. टाटा पावर सोलर सियरअम लिमिटेड जरिये डायरेक्टर पता रजिस्टर्ड ऑफिस 78 इलैक्ट्रीसिटी फैज 1 साईबर पार्क के पास, बैगलोर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार कोलायत

–रेस्पोडेन्टस

<u>अपील संख्याः 16/2021</u> निर्णय दिनांकः–
(जीसीएमएस संख्या 2021/85)

1. शेरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत उम्र 26 वर्ष पेशा खेती निवासी गॉव नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. हरिसिंह पुत्र अखेसिंह जाति राजपुत पेशा खेती निवासी गॉव नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. टाटा पावर सोलर सियरअम लिमिटेड जरिये डायरेक्टर पता रजिस्टर्ड ऑफिस 78 इलैक्ट्रीसिटी फैज 1 साईबर पार्क के पास, बैगलोर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार कोलायत

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21—01—2021
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः—

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सतपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5
3. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. उक्त दोनो अपीले उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 21—01—2021 जिसके द्वारा अपीलांटस का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्धारण हेतु वादग्रस्त भूमि एकसमान होने के कारण दोनों अपील पत्रावलियों का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. अपील संख्या 15/2021 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित। तथा अपील संख्या 16/2021 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के दादा अखेसिह के नाम से वाके गॉव नोखडा के खेत खसरा नम्बर 100 तादादी 83 बीधा 8 बिरवा, खसरा नम्बर 128 तादादी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

107 बीघा, खसरा नम्बर 375/1 215 बीघा, खसरा नम्बर 404/100 तादादी 60.12 बीघा, खसरा नम्बर 122 तादादी 14 बीघा, खसरा नम्बर 123 तादादी 1 बीघा, खसरा नम्बर 124 तादादी 1.8 बीघा, खसरा नम्बर 125 तादादी 1.8 बीघा, खसरा नम्बर 126 तादादी 1.4 बीघा, खसरा नम्बर 127 तादादी 1.16 बीघा, खसरा नम्बर 441/128 तादादी 194.6 बीघा, कुल 668.13 बीघा भूमि थी जो अपीलान्ट के दादा अखेसिंह की मृत्यु उपरान्त जरिये इन्तकाल संख्या 55 रेस्पोडेन्ट संख्या एक व उनके भाईयों के नाम दर्ज हुई।

वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की मौरेशी भुमि होने के कारण अपीलान्ट का उक्त भुमि में जन्म से ही हक व हिस्सा निहीत है जिसे अपीलांट कानुनन प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए अपीलांट द्वारा अ अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट का दावा खारिज किया गया था। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट के पिता द्वारा भुमि का अर्सापूर्व मौखिक बंटवारा करके अपीलान्ट को अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज करया दिया जिस पर सभी सह खातेदार काश्तकार काश्त मौके पर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करते आ रहे है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की कोई दखलअन्दाजी नहीं रही है। मौके पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 साथ शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर अपीलान्ट अपनी कच्ची ढाणी व कुण्ड बनाकर अपने पुस्तैनी हिस्से पर काबिज है। अपीलान्ट ने कई बार रेस्पोडेन्ट संख्या एक जो कि अपीलान्ट के पिता है को आग्रह किया कि परिवार काफी बढ़ चुका है इसलिए के.सी.सी. लोन तथा अन्य खेतो की सरकारी योजनाओ का फायदा उठाने के लिए खेतो का अलग–अलग विभाजन करवा लेते है ताकि किसी को भी अपने कार्य के लिए सह खातेदार कास्तकार की आवश्यकता महसुस नहीं करनी पडे मगर रेस्पोडेन्ट हमेशा आजकल करके टाल मटोल करता रहा है। अपीलान्ट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या एक राजस्व रिकार्ड में भुमि अपने नाम होने के कारण अपीलान्ट को बताये बगैर दिनांक 15/6/2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के हक में विधिविरूद्ध अपने हक व स्वामित्व के बाहर जाकर बैयनामा पंजीबद्ध करवा दिया और भुमि को औने पौने दामों में बेच दिया जिसके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व 5 अपीलांट को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने पर आमदा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। जिसका बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के हक में गैरकानूनी तरीके से कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपने हिस्से से अधिक बेचान कर दिया जो कानुनन विधिविरूद्ध व ऐबनिशियों वोइड है।

अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 का प्रश्न विधि व तथ्य का मिश्रीत प्रश्न है जिसे तनकीहात कायम कर दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य लेकर ही निर्णीत किया जा सकता था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही वादी का वादपत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया की अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 100, 128, 375/1, 404/100, 122, 123, 124, 125, 126, 127 व 441/128 अपने स्वर्गीय दादा अखेसिंह के नाम होने के कारण उक्त कृषि भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 1 का पैतृकता के आधार पर 1/2 हिस्सा होना मानते हुए अपीलांट के पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 5 के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.6.2020 को निरस्त करवाने व उक्त कृषि भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा विभाजित करवाने हेतु दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अलोक में अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया गया है।

उन्होने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष बावत् विधिवत विभाजन के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलांट निर्विवादित रूप से उक्त खसरा नम्बर 652/375 की भूमि का खातेदार–काश्तकार नहीं है तथा ना ही कभी अपीलांट का नाम भू–राजस्व अभिलेखों जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के वाद में भी अपीलांट द्वारा उक्त वर्णित कषि भूमि में अपने खातेदारी अधिकारो की द्योषणा का अनुतोष नही चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का वाद केवल मात्र सहकाश्तकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अजनबी व्यक्ति को कृषि भूमि में बिना खातेदारी अधिकारो की घोषणा के विभाजन का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में वांछित अनुतोष बावत् विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के खातेदार काश्तकार नही होने के कारण व उक्त उनवानी वाद में खातेदारी अधिकारो की घोषणा के अभाव में पोषणीय नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 के तहत खारिज किया गया है।

अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के हक में निष्पादित बैयनामा दिनांक 15.6.2020 एबनिशियों वोइड होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपीलांट ने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 15.6.2020 से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 में उद्भूत खातेदारी अधिकारो को मानते हुए पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से चाहा है। विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 में वर्णित आधारों पर किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने की एकमात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार राजस्व न्यायालय केवल उन्हीं विषयों से संबंधित वादो को सुनकर निर्णित कर सकता है जिनका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में अंकन है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में वांछित अनुतोष बावत निरस्त किये जाने पंजीकृत विकय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में उल्लेखित विषय नहीं है। इस कारण अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय की श्रेत्राधिकारिता में नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र से यह तथ्य निर्विवादित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 652/375 की 53 बीधा 16 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा कय किया जाकर वर्तमान में रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अपीलांट की उक्त खसरा नम्बर की भूमि के सम्बन्ध में केवल मात्र एक अजनबी की हैसियत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा का वाद केवल मात्र खातेदार आसामी द्वारा ही लाया जा सकता है। अजनबी व्यक्ति को कृषि भूमि में बिना खातेदारी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधिकारो के खातेदार काश्तकार को निषेद्याज्ञा से पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वांछित अनुतोष बावत् निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलांट के खातेदार काश्तकार नही होने के कारण व उक्त वाद में खातेदारी अधिकारो की घोषणा के अभाव में अपीलांट का वाद खारिज किया गया है।

रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किये कि अपीलांट द्वारा अपनी बहस में ये तथ्य प्रकट किये है कि अपीलांट के पिता ने भूमि का अर्सापूर्व अपने पुत्रों में मौखिक बॅटवारा करके अपीलांट व उसके भाईयो को मौके पर काबिज करवा दिया जिस पर सभी सह खातेदार काश्तकार काश्त मौके पर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करते आ रहे है। लेकिन अपीलांट ने यह कथन नहीं किया है कि उक्त मौखिक बॅटवारानुसार अपीलांट उक्त वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि में से कौनसे खसरा नम्बर की भूमि पर वर्तमान में काबिज काश्त है। वादी ने उक्त समस्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई राजस्व रिकॉर्ड या दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलांट का उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है। आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा।

आदेश 7 नियम 11 के अनुसार–

Rejection of plaint.— The plaint shall be rejected in the following cases:—

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी बिना क्षेत्राधिकार के प्रस्तुत होने के कारण विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किया गया है। इस न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी को आदेश 7 नियम 11 के क्लॉज डी के तहत सही खारिज किया है अथवा नही?

जहॉ एक ओर आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का स्कॉप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र के अभिकथनो को सही मानने की उपधारणा की जाती है, वही दूसरी और आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान न्यायालय को सशक्त करते है कि किसी भी वैग व बॉग्स दावे को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर न्यायालय स्वतः ही समाप्त कर वाद पत्र खारिज कर सकता है।

प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या वाद क्लॉज डी (विधि द्वारा वर्जित) के प्रावधानो के तहत आता है अथवा नही?

आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वाद पत्र के अभिकथन पढकर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दावा विधि द्वारा वर्जित है अथवा नही? यद्यपि न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्लयु 2006(1) पेज संख्या 499 के आलोक में आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में दस्तावेजो को देखने में मनाही नही है।

प्रकरण में वाद पत्र के अभिकथनो पर गौर किया गया। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वादी द्वारा यह अभिस्वीकृत किया है कि वादी के दादा अखेसिंह के नाम से 668.13 बीघा भूमि थी, जो कि उनकी मृत्युपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 व उनके भाईयो के नाम दर्ज हुई। वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या 8 व अनुतोष में केवल 53 बीघा 17 बिस्वा भूमि का विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि खाता विभाजन का दावा केवल सहखातेदार ही ला सकता है। साथ ही खाता विभाजन का दावा समस्त भूमि के संबंध में लाया जा सकता है। अपीलाधीन भूमि में अपीलांट/वादी सहखातेदार नही है। इस स्थिति में वादी को सर्वप्रथम अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवानी होगी। परन्तु वाद पत्र के अभिकथनो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण वाद पत्र के किसी भी पैरा एवं अनुतोष में वादी/अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष नही चाहा है। अपीलांट द्वारा बिना खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष मांगे 668.13 बीघा भूमि में से केवल 53.17 बीघा भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहा गया है। जो कि विधिक रूप से उचित नही है। इसी प्रकार वादी द्वारा अनुतोष के पैरा 'ब' में चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विधि द्वारा सुस्थापित है कि चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष केवल खातेदार ही मांग सकता है। वादी द्वारा बिना खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष मांगे चिरनिषेधाज्ञा नही प्राप्त की जा सकती। इसी प्रकार अनुतोष के अंतिम पैरा 'स' में वादी द्वारा बैयनामा दिनांक 18–06–2020 को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त केवल सिविल न्यायालय से ही करवाया जा सकता है। राजस्व न्यायालय से केवल ऐसे दस्तावेज को प्रारंभतः शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष लिया जा सकता है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त नही करवाया जा सकता है।

वाद–पत्र के अभिकथनो से यह प्रकट होता है कि वादी/अपीलांट क्लीन हेण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है। वादी द्वारा 668.13 बीघा भूमि में से केवल जो भूमि राष्ट्रीय महत्त्व की सौर उर्जा प्रोजेक्ट हेतु बैचान हुई है उस भूमि के संबंध में वाद लाया गया है।

बिना खातेदारी अधिकारो की घोषणा के विशिष्ट भूभाग का खाता विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नही किया जा सकता है। वाद पत्र के अभिकथनो मात्र से वाद वादी विधि द्वारा वर्जित श्रेणी के तहत आता है। इस प्रकार के वाद को चलाने के लिए न्यायालय बाध्य नही है। कार्यवाही के किसी भी स्तर पर इस प्रकार का वाद को खारिज किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के तहत वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है। अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की दोनो अपीले खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–01–2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 17-09-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर